भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1550

दिनांक 29.07.2025 को उत्तरार्थ

पंचायतों में महिला प्रतिनिधि

1550. श्री अरुण गोविलः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में पंचायती राज व्यवस्था के कार्यान्वयन के तीन दशक से अधिक समय बाद भी कई मामलों में आधिकारिक बैठकों या समारोहों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की जगह उनके पति, भाई या पुत्र शामिल होते है, क्योंकि कुछ महिलाएं आधिकारिक कर्तव्यों को समझने या निभाने में असमर्थ होती हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा ऐसी परिपाटियों को हतोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या सरकार की महिला पंचायत सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण देकर सरकारी कार्य को समझने और करने में सक्षम बनाने संबंधी कोई योजना है?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री

(प्रो0 एस0 पी0 सिंह बघेल)

(क) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत, 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को, संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों, जो राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है। तदनुसार, महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण सहित पंचायतों से संबंधित सभी मामले, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

पंचायतों में प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व से संबंधित शिकायतें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संबोधित की जाती हैं। पंचायती राज मंत्रालय को प्रिंट तथा मास मीडिया, कानूनी नोटिस, अदालती मामलों, शिकायतों और जनहित याचिकाओं (PIL) के माध्यम से पंचायतों में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व के मुद्दों से अवगत कराया गया है। इस संबंध में, मंत्रालय ने निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पतियों द्वारा उनके कर्तव्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शिकाएं जारी किए हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, पंचायती राज मंत्रालय ने महिला प्रधानों का प्रतिनिधित्व उनके परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा किए जाने के मुद्दे और उससे संबंधित अन्य मुद्दों की जाँच हेतु सितंबर 2023 में एक सलाहकार समिति का गठन किया था। समिति ने फरवरी 2025 में मंत्रालय को अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है।

सलाहकार समिति ने यह सिफारिश की है कि पंचायती राज संस्थाओं में प्रॉक्सी नेतृत्व को समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक उपाय करने हैं। इस मामले के महत्व और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आत्मनिर्भर नेतृत्व पर इसके प्रभाव को देखते हुए, इस मंत्रालय ने महिला प्रधानों के मुद्दों पर सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के व्यावहारिक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और उनके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 17 अप्रैल 2025 को एक सुविधा समिति का भी गठन किया है।

इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण के अपने विषयगत दृष्टिकोण के माध्यम से थीम 9- महिला हितैषी पंचायतें सहित जमीनी स्तर पर शासन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है| मंत्रालय ने राज्यों को ग्राम सभा की बैठक से पहले अलग-अलग वार्ड सभा और महिला सभा की बैठकें आयोजित करने में सहूलियत प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

(ख) मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना लागू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला पंचायत सदस्य, पदाधिकारी और अन्य हितधारक सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं को सक्षम बनाना है ताकि वे नेतृत्वकारी भूमिकाओं के लिए अपनी शासन क्षमताओं का विकास कर सकें और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 (24 जुलाई 2025 तक) तक कुल 25,13,543 महिला पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। पंचायतों, सेवा वितरण तंत्रों और नेतृत्व कौशल से संबंधित विभिन्न विषयों में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण में वृद्धि ने महिला पंचायत सदस्यों की कार्यकारी प्रतिनिधि के रूप में उन्हें सौंपे गए कार्यों को करने की क्षमता और योग्यता को बढ़ाया है। महिला पंचायत सदस्यों को जमीनी स्तर

पर अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ग्रामीण शासन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जाता है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने सुशासन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु महिला पंचायत सदस्यों के नेतृत्व और प्रबंधकीय, संचार और बातचीत कौशल को मजबूत करने हेतु उनकी क्षमता निर्माण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता के लिए एक व्यापक विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किया है। प्रशिक्षण मॉड्यूल का उद्देश्य महिला पंचायत सदस्यों द्वारा अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के निर्वहन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना, शासन के विभिन्न पहलुओं पर उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाना और उन्हें स्थानीय विकास को गति देने के लिए सक्षम बनाना है।

इन विभिन्न प्रशिक्षणों के अलावा, यह मंत्रालय अंतर-राज्यीय शिक्षण अनुभव आदि के लिए राज्यों के भीतर और बाहर के भ्रमणों को भी सहायता प्रदान करता है।इसके अतिरिक्त, नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट संस्थानों के माध्यम से पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए एक नई पहल की गई है।

*****